(राजस्थान सरकार)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी:-
पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 207 / 2021 जीसीएमएस नम्बर :- 2021 / 697

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल उम्र 53 साल
2. राजेश कुमार पुत्र श्योलाल उम्र 50 साल
3. मिश्री पत्नी श्योलाल उम्र 100 साल
4. बिमला पुत्री श्योलाल उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
5. कवर सिंह पुत्र काशीराम उम्र 70 साल
6. भगवाना उर्फ भगवान सिंह पुत्र काशीराम उम्र 66 साल जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
7. जगमाल पुत्र मानसिंह उम्र 66 साल
8. छोटेलाल पुत्र मानसिंह उम्र 50 साल
9. सुभाष पुत्र मानसिंह उम्र 45 साल
10. लाली पुत्री मानसिंह उम्र 63 साल
11. मूर्ति पुत्री मानसिंह उम्र 55 साल
12. सन्तोष पुत्री मानसिंह उम्र 47 साल जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
13. ओमप्रकाश पुत्र मोहर सिंह उर्फ मोहरू उम्र 53 साल
14. राजपाल पुत्र मोहर सिंह उर्फ मोहरू उम्र 47 साल
15. कृष्णा पुत्री मोहर सिंह उर्फ मोहरू उम्र 60 साल
16. सुमित्रा पुत्री मोहर सिंह उर्फ मोहरू उम्र 57 साल
17. रालबाला पुत्री मोहर सिंह उर्फ मोहरू उम्र 55 साल
18. सुमन पुत्री मोहर सिंह उर्फ मोहरू उम्र 50 साल
19. गिन्दोड़ी उर्फ गिन्नी पत्नी मोहर सिंह उर्फ मोहरू उम्र 80 साल समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
20. जगदीश पुत्र रामकुवार उम्र 50 साल
21. संजीव पुत्र रामकुवार उम्र 45 साल
22. मनीष पुत्र कर्मपाल नवीरा रामकुवार उम्र 30 साल
23. अरविन्द पुत्र कर्मपाल नवीरा रामकुवार उम्र 28 साल
24. सुरेश पत्नी कर्मपाल उम्र 54 साल
25. मुकेश पुत्री रामकुवार उम्र 53 साल समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:44 IST
Reason: SelfAttested

ब-ना-म

1. कुलदीप

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

2. सन्दीप पुत्रान लखमीचन्द जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मंजीत पुत्री लखमीचन्द पत्नी मनोज
4. संजीत पुत्री लखमीचन्द पत्नी धर्मवीर जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद शहरपुर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
5. चन्द्रा पत्नी लखमीचन्द जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
6. कला पुत्री प्रभु पत्नी .... जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद लावण तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरि0
7. बाला पुत्री प्रभु पत्नी राजसिंह जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद आजमनगर तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
8. लाली पुत्री प्रभु पत्नी रमेश कुमार जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद लावण तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
9. सन्ता पुत्री प्रभु पत्नी सुबेसिंह जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद लावण तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
10. सविता पुत्री प्रभु जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
11. कला पुत्री कालु जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
12. सुरेन्द्र पुत्र कालु
13. हरबाई पत्नी कालु जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
14. लीला पुत्र शंकर
15. गोलिया पुत्र शंकर
16. छोटु पुत्र शंकर
17. राजेन्द्र
18. दलीप पुत्रान बने सिंह नवीरा मनभर समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
19. ममता पुत्री बनेसिंह पत्नी धर्मपाल जाति अहीर निवासी नावता हाल आबाद लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
20. बंटी पत्नी सरजीत
21. ऋतिक पुत्र सरजीत नवीरा बने सिंह नाबालिग जरिये माता संरक्षक बंटी पत्नी सरजीत
22. रिया पुत्री सरजीत नवीरा बने सिंह नाबालिग जरिये माता संरक्षक बंटी पत्नी सरजीत जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
23. कैलाश देवी पत्नी भीम सिंह
24. गुरूदयाल पुत्र निहाला
25. मूलचन्द पुत्र निहाला समस्त जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
26. रेशमी पुत्री निहालाराम [illegible] जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद [illegible] तहसील नीमराना जिला अलवर, राज0
27. लीलाधर पुत्र भाता जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

28. मुकेश देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी नावता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
29. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कलां।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना।

.........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक व खाता विभाजन

:: निर्णय :: दिनांक : 19–08–2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि

1. यह की वाके ग्राम नावता तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 89 के ख.नं. 237 रकबा 0.06 है., ख.नं. 341 रकबा 0.24 है., ख.नं. 372 रकबा 0.33 है., ख.नं. 467 रकबा 0.30 है., ख.नं. 543 रकबा 0.15 है., ख.नं. 544 रकबा 0.21 है., ख.नं. 591 रकबा 0.10 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.39 है. के खातेदार काश्तकार ओमप्रकाश पुत्र श्योलाल हिस्सा 1/32 भाग, कुलदीप पुत्र लखमीचन्द हिससा 1/400, कला पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96, कला पुत्री कालु हिस्सा 1/80, कैलाश देवी पत्नी भीम सिंह हिस्सा 3/80, कैलाश देवी पत्नी भीम सिंह हिस्सा 83/768, कवर सिंह पुत्र काशीराम हिस्सा 1/16, गुरूदयाल पुत्र निहाला हिस्सा 1/128, गोलिया पुत्र शंकर हिस्सा 1/64, चन्द्रो पत्नी लखमीचन्द हिस्सा 1/400, छोटु पुत्र शंकर हिस्सा 1/64, परता पुत्र मनभर हिस्सा 1/16, बने सिंह पुत्र शंकर हिस्सा 1/64, बाला पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96, भगवाना पुत्र काशीराम हिस्सा 1/16, मुकेश देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार हिस्सा 83/768, मंजीत पुत्री लखमीचन्द हिस्सा 1/400, मूलचन्द पुत्र निहाला हिस्सा 1/128, मानसिंह पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/12, मिश्री पत्नी श्योलाल हिस्सा 1/32, मिश्री पत्नी प्रभु हिस्सा 1/96, मोहरू पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/12, रेशमी पुत्री निहाला हिस्सा 1/128, राजेश पुत्र श्योलाल हिस्सा 1/32, रामकुवार पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/12, लाली पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96, लीला पुत्र शंकर हिस्सा 1/64, लीलाधर पुत्र भाता हिस्सा 1/96, बिमला पुत्री श्योलाल हिस्सा 1/32, मंजीत पुत्री लखमीचन्द हिस्सा 1/400, सन्दीप पुत्र लखमीचन्द हिस्सा 1/400, सन्ता पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96, सविता पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96 समस्त जाति अहीर निवासीगण नावता दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि वाके ग्राम नावता स्थित भूमि खाता सं. 90 के ख.नं. 238 रकबा 0.16 है. के खातेदार काश्तकार कुलदीप पुत्र लखमीचन्द हिस्सा 1/400, कला पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96, कला पुत्री कालु हिस्सा 1/80, गुरूदयाल पुत्र निहाला हिस्सा 1/128, गोलिया पुत्र शंकर हिस्सा 1/64, चन्द्रो पत्नी लखमीचन्द हिस्सा 1/400, छोटु पुत्र शंकर हिस्सा 1/64, परता पुत्र मनभर हिस्सा 1/16, बने सिंह पुत्र शंकर हिस्सा 1/64, बाला पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96, भगवाना पुत्र काशीराम हिस्सा 1/24, भूरा पुत्र हरदेवा हिस्सा 1/12, मुकेश देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार हिस्सा 83/384, मंजीत पुत्री लखमीचन्द हिस्सा 1/400, मूलचन्द पुत्र निहाला हिस्सा 1/128, मानसिंह पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/12, मिश्री पत्नी प्रभु हिस्सा 1/96, मोहरू पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/12, रेशमी पुत्री निहाला हिस्सा 1/128,

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रामकुवार पुत्र श्योकरण हिस्सा 1/12, लाली पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96, लीला पुत्र शंकर हिस्सा 1/64, लीलाधर पुत्र माता हिस्सा 1/96, श्योलाल पुत्र हरदेवा हिस्सा 1/12, मंजीत पुत्री लखमीचन्द हिस्सा 1/400, संदीप पुत्र लखमीचन्द हिस्सा 1/400, सन्ता पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96, सुरेन्द्र कुमार पुत्र कालु हिस्सा 1/80, सविता पुत्री प्रभु हिस्सा 1/96, हरबाइ पत्नी कालु हिस्सा 1/80 दर्ज रिकार्ड है।

3. यह कि मानसिंह श्योकरण फौत हो चुका है जिसके वारिशान वादीगण सं. 7 लगा. 12 है व मोहरू पुत्र श्योकरण भी फौत हो चुका है जिसके वारिशान वादीगण सं. 13 लगा. 19 है तथा रामकुवार पुत्र श्योकरण भी फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिशान वादीगण सं. 20 लगा. 25 है। इसी प्रकार बने सिंह पुत्र शंकर भी फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिशान प्रतिवादी सं. 12 लगा. 17 है। मिश्री पत्नी प्रभु भी फौत हो चुकी है जिसके विधिक वारिशान प्रतिवादी सं. 6 लगा. 10 है तथा परता पुत्र मनभग भी नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिशान प्रतिवादी सं. 6 लगा. 22 है तथा भूरा पुत्र हरदेवा भी नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिशान उसके भाई श्योलाल व काशीराम के वारिशान वादी सं. 1 लगा. 6 हैं।

4. भूरा पुत्र हरदेवाराम नाऔलाद फौत हो गया है। श्योलाल फौत हो चुका है।

5. यह कि स्व0 श्योलाल फौत हो चुका है तथा वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 में श्योलाल का हिस्सा 1/12 दर्ज है तथा 1/12 हिस्सा भूरा व 1/24 हिस्सा कंवर सिंह पुत्र काशीराम व 1/24 हिस्सा भगवाना पुत्र काशीराम दर्ज है। भूरा पुत्र हरदेवा का 1/12 हिस्सा उसके भाई काशीराम व श्योलाल में बराबर–बराबर बंट गया। क्योंकि भूरा पुत्र हरदेवा नाऔलाद फौत हो गया। इसलिए श्योलाल का विवादित भूमि में 1/12 हिस्सा ना होकर 1/12+ 1/24 कुल 3/24 अर्थात 1/8 हिस्सा है तथा वादी सं. 5 का 1/24+1/48 कुल 3/48 अर्थात 1/16 व वादी सं. 6 का 1/24+1/48 कुल 3/48 अर्थात 1/16 हिस्सा है। इस प्रकार विवादित भूमि में 1/8 हिस्सा सामूहिक रूप से बराबर–बराबर वादीगण सं. 1 लगा. 4 व वादी सं. 5 का 1/24 के स्थान पर 1/16 व वादी सं. 6 का 1/24 के स्थान पर 1/16 के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है तथा इसी प्रकार काबिज है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

6. यह कि विवादित भूमि का बंटवारा खातेदारों ने कर लिया है तथा बाहमी बंटवारे के आधार पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। बाहमी बंटवारे के आधार पर वादीगण सं. 1 लगा. 6 के हिस्से में ख.नं. 543 रकबा 0.15 है., ख.नं. 544 रकबा 0.21 है., ख.नं. 591 रकबा 0.10 है आये है तथा वादीगण सं. 13 लगा. 25 के हिस्से में ख.नं. 467 रकबा 0.30 है., [illegible] वादीगण सं. 7 लगा. 12 ने अपना हिस्सा नावता की ढाणी वाली [illegible] भूमि वादीगण सं. 13 लगा. 25 को दे दी है और इसी प्रकार काबिज काश्त है तथा इसी प्रकार बाहमी बंटवारा हो चुका है परन्तु राजस्व रिकार्ड में मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर खाता विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए यह दावा खाता विभाजन हेतु पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि–

(क). वाके ग्राम नावता तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 85 के ख.नं. 238 रकबा 0.18 है. में वादी सं. 1 को 1/32, वादी सं. 2 को 1/32, वादी सं. 3 को

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

1/32, वादी सं. 4 को 1/32 भूमि का खातेदार तथा वादी सं. 5 को 1/24 के **स्थान पर** 1/24+1/38 कुल 3/48 अर्थात् 1/16 व वादी सं. 6 को 1/24 के **स्थान पर** 1/24+1/48 कुल 3/48 अर्थात 1/16 हिस्से का खातेदार **काश्तकार घोषित** किया जावे।

(ख). **हाल खाता सं.** 85 के ख.नं. 238 रकबा 0.18 है. में से वादीगण **की भूमि** का खाता **विभाजन** अनुतोष के खण्ड नं. (क) के अनुसार कर अलहदा लगान कायम किया **जावे।**

(ग). **वाके** ग्राम नावता तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता सं. 89 के ख.नं. 237 रकबा 0.06 है., ख.नं. 341 रकबा 0.24 है., ख.नं. 372 रकबा 0.33 है., ख.नं. 467 रकबा 0.30 है., ख.नं. 543 रकबा 0.15 है., ख.नं. 544 रकबा 0.21 है., ख.नं. 591 रकबा 0.10 है. कुल किता 7 कुल रकबा 1.39 है. भूमि में से वादीगण के हिस्से की भूमि का खाता विभाजन बाहमी बंटवारे अनुसार कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाकर अलहदा लगान कायम किया जावे।

(घ). वाद पत्र के खण्ड सं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में से वादी सं. 7 लगा. 12 का नाम हजफ किया जाकर वादी सं. 13 लगा. 25 को खाता विभाजन में दी जावे।

(ड). वादीगण सं. 1 लगा. 6 का खाता समूहिक व वादीगण सं. 13 लगा. 25 का खाता सामूहिक रखा जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 व 11 लगा. 22 व 24 लगा. 25 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने की सहमति दी है। शेष प्रतिवादी सं. 6 से 10, 23 व 26 से 30 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.04.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 233 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 619 दिनांक 30.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:44 IST
Reason: SelfAttested

बहस के अनुसार ,[illegible] प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर [illegible] प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं [illegible]न किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम नावता स्थित भूमि हाल खाता संख्या 85, 89 में पक्षकारान के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या– 207 / 2021
ओमप्रकाश बनाम कुलदीप आदि
निर्णय दिनांक– 19.08.2025

आदेश

" न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नावता तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 85 खसरा नंबर 238 रकबा 0.16 है. वादीगण सं. 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/32–1/32 हिस्से का, वादी सं. 5 को 1/16 हिस्से का, वादी सं. 6 को 1/16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व ग्राम नावता स्थित भूमि हाल खाता संख्या 89 खसरा नंबर 237, 341, 372, 467, 543, 544, 591 कुल किता 7 कुल रकबा 1.39 है. तथा खाता सं. 85 खसरा नंबर 238 रकबा 0.16 है. में से वादीगण सं. 7 लगा. 12 का नाम इजाफ किया जाकर वादीगण सं. 13 लगा. 25 को खाता विभाजन में दी जाती है तथा वादीगण सं. 1 लगा. 6 व वादीगण सं. 13 लगा. 25 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(पूनम मीना)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक ------------ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पूनम मीना)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:44 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 207 / 2021 **जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 697**

ओमप्रकाश **बनाम** कुलदीप आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक, खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से **श्री विजयपाल यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री जगदेवसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थित में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी,** बुहाना के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

'' न्यायालय वाद वादीगण बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नावता तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 85 खसरा नंबर 238 रकबा 0.16 है. वादीगण सं. 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1 / 32–1 / 32 हिस्से का, वादी सं. 5 को 1 / 16 हिस्से का, वादी सं. 6 को 1 / 16 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व ग्राम नावता स्थित भूमि हाल खाता संख्या 89 खसरा नंबर 237, 341, 372, 467, 543, 544, 591 कुल किता 7 कुल रकबा 1.39 है. तथा खाता सं. 85 खसरा नंबर 238 रकबा 0.16 है. में से वादीगण सं. 7 लगा. 12 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण सं. 13 लगा. 25 को खाता विभाजन में दी जाती है तथा वादीगण सं. 1 लगा. 6 व वादीगण सं. 13 लगा. 25 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख .... को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.09.29 16:12:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना